भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2094

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"उर्वरक के कच्चे माल पर जीएसटी"

2094. **श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक कच्चे माल पर जीएसटी कम करने में सरकार को किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि जीएसटी परिषद ने कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की है लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि संसद की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने भी उर्वरक कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि जीएसटी परिषद ने इस मुद्दे को मंत्रियों के समूह को भेज दिया है और यदि हां, तो मंत्रियों के समूह के निष्कर्षों और नतीजों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) से (ग): जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जोकि एक संवैधानिक निकाय है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

जीएसटी परिषद द्वारा उर्वरक कच्चे माल पर जीएसटी में कटौती के मुद्दे पर 25वीं, 28वीं, 31वीं, 45वीं, 47वीं और 53वीं बैठक में चर्चा की गई है।

जीएसटी परिषद ने अपनी 25वीं बैठक में 12 जैव कीटनाशकों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% करने की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने अपनी 28वीं बैठक में उर्वरक ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की है। सरकार ने इन सिफारिशों को लागू किया था।

(घ): जी हां, संसद की रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी परिषद ने अपनी 43वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे उर्वरक कच्चे माल पर जीएसटी में कटौती की सिफारिश की थी।

(ङ): जीएसटी परिषद ने 22 जून, 2024 को आयोजित अपनी हाल ही की 53वीं बैठक में इस मामले को दरों के युक्तिकरण संबंधि मंत्रिसमूह को भेज दिया है।

******